राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (08)आकाशि/नि.सं./2021/371 दिनांक:- 04-10-2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सत्र 2023-2024 (तीन सत्र) तक **स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र** निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
श्री मंगलचन्द डीडवानिया विद्यामन्दिर समिति, जिला सीकर।	एस.एम.डी. कॉलेज, विजय कॉलोनी, वार्ड नं0 17, जयपुर रोड़, जिला सीकर। खसरा नं. 807/361 माप- 14000 वर्गमीटर	पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत। विज्ञान संकाय- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2024-25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वंय की भूमि पर स्वंय के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा ।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. कुल सचिव, पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (08)आकाशि / नि.सं. / 2021 / 539 दिनांकः– 14-12-2021

संशोधन–आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ4 (08)आकाशि / नि.सं. / 2021 / 371 दिनांक 04.10.2021 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में निजी महाविद्यालय एस.एम.डी. कॉलेज, विजय कॉलोनी, वार्ड नं0 17, जयपुर रोड़, जिला सीकर, खसरा नं. 807 / 361 माप– 14000 वर्गमीटर के स्थान पर महाविद्यालय का नाम व पता एस.एम.डी. कॉलेज, खोरीब्राह्मणान, रघुनाथगढ़ जिला सीकर, खसरा नं. 807 / 361 माप 14000 वर्गमीटर पढ़ा जावे।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

F. No.-2 ( ) Affiliation-Acad./2021-22/ 9098 Date : 17/01/2022

To,

Principal,
S.M.D. College,
Khori Brahamanan, Raghunathgarh,
Distt - Sikar (College Code – 469)

Subject : Fresh Provisional Affiliation for the Session 2021-22.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above. I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant fresh provisional affiliation to your college for Academic Year 2021-22 in the following course on the basis of NOC received from State Government :-

Faculty	Subjects	No. of Seats
B.A.	Hindi Literature, English Literature, Pol. Science, History, Sanskrit, Home Science, Geography, Economics.	60
B.Sc.	Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology.	60

Above affiliation is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the UGC, State Government and the University.

Registrar

F. No.-2 ( ) Affiliation-Acad./2021-22/ 9099 — 9101 Date : 17/01/2022

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, J.L.N. Marg, Govt. of Rajasthan Jaipur.
2. The Controller of Examination, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
3. P.S. to V.C., Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
4. Guard File.

Dy. Registrar (Acad.)

SECRETARY
SMD COLLEGE
Khori Brahmanan, Raghunathgarh, Sikar